(149)

(117)

र.जिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 27, 1984/भाद्र 5, 1906
No. 337] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 27, 1984/BHADRA 5, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 1984

सा. का. नि. 626(अ) :—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दण्ड प्रक्रिया विधि (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राष्ट्रपति अधिनियम सं. 1) को, जैसा वह इस अधिसूचना की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. धारा 1 में, विद्यमान उप-धारा (2) को उप-धारा (3) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार से पुन: संख्यांकित उप-धारा (3) के पूर्व निम्नलिखित उप-धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) इसका विस्तार समस्त चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र पर है ।" ।

2. धारा 2 का लोप किया जाएगा ।

3. धारा 3 में "पंजाब राज्य" शब्दों के स्थान पर "चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे ।

उपाबन्ध

चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र पर यथाविस्तारित दण्ड प्रक्रिया विधि (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का राष्ट्रपति सं. 1)

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित दण्ड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1983 का संशोधन करने के लिए और दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के पंजाब राज्य को उसके लागू होने के लिए और संशोधन करने के लिए अधिनियम

राष्ट्रपति, पंजाब राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1984 (1984 का 36) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अधिनियमित करते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया विधि (पंजाब संशोधन), अधिनियम, 1984 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. 1983 के पंजाब अधिनियम 22 का संशोधन :—दण्ड प्रक्रिया संहिता (पंजाब संशोधन) अधिनियम, 1983 की धारा 1

की उप-धारा (3) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

3. 1974 के अधिनियम 2 का संशोधन :—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 की उप-धारा (2) में पंजाब राज्य को उसके लागू होने के लिए "पन्द्रह दिन" शब्दों के स्थान पर दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "तीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ।

[सं. यू.-11015/11/84-(यू. टी. एल.)/(160)]

एच. वी. गोस्वामी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 1984

G.S.R. 626(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Re-organisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union Territory of Chandigarh, the Criminal Procedure Laws (Punjab Amendment) Act, 1984 (President's Act No. 1 of 1984) as in force in the state of Punjab at the date of this notification, subject to the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

1. In section 1, the existing sub-section (2) shall be re-numbered as sub-section (3) and before sub-section (3) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely :—

"(2) It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh."

2. Section 2 shall be omitted.

3. In section 3, for the words "State of Punjab" the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

ANNEXURE

The Criminal Procedure Laws (Punjab Amendment) Act, 1984 (President's Act No. 1 of 1984) as extended to the Union Territory of Chandigarh. Enacted by the President in the Thirty-Fifth Year of the Republic of India.

An Act to amend the Code of Criminal Procedure (Punjab Amendment) Act, 1983 and further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973, in its application to the State of Punjab.

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1984, (36 of 1984), the President is pleased to enact as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Criminal Procedure Laws (Punjab Amendment) Act, 1984.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Chandigarh.

(3) It shall come into force at once.

2. Omitted.

3. Amendment of Act 2 of 1974.—In sub-section (2) of section 167 of the Code of Criminal Procedure, 1973, in its application to the Union territory of Chandigarh, for the words "fifteen days", at both the places where they occur, the words "thirty days" shall be substituted.

[U-11015|11|84-UTL|(160)]

H. V. GOSWAMI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI 110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984